

सम्पादकीय

रोजगार के मोर्चे पर नैया
पार लगाने के लिए सेवा क्षेत्र
के ढांचे को मजबूत करे सरकार

गत सप्ताह पेश बजट में कई सार्थक पहल की गई हैं। इनमें डिजिटल करेंसी पर बहुत चर्चा हुई है। यह स्वाभाविक भी है, क्योंकि दुनिया भर में मुद्रा के स्तर पर नए तकनीकी परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं। इसका ही एक स्वरूप डिजिटल मुद्रा है। पारंपरिक मुद्रा के लिए सरकार को नोट छापने पड़ते हैं। इसका खर्च देश पर पड़ता है। आपको नोट को अपनी जेब में रखना पड़ता है। नोट खराब भी हो जाते हैं। डिजिटल करेंसी में यह खर्च और जोखिम कम हो जाता है। जैसे नोट पर एक नंबर छपा होता है, उसी प्रकार डिजिटल करेंसी का एक नंबर रिजर्व बैंक बनाएगा। आप रिजर्व बैंक को भुगतान कर वह नंबर ले सकते हैं। वह नंबर रिजर्व बैंक के कंप्यूटर में दर्ज हो जाएगा कि इस नंबर की डिजिटल करेंसी अमुक व्यक्ति की है। जब वह व्यक्ति उसे किसी को हस्तांतरित करेगा तब रिजर्व बैंक का कंप्यूटर पुष्टि कर देगा कि डिजिटल करेंसी वास्तव में उस व्यक्ति की ही है। उसके बाद वह नंबर पाने गाले के खाते में चढ़ जाएगा। कागज बनाने, नोट छापने, गाड़ियों से देश भर में पहुंचाने और बैंक से वितरित करने आदि पर आने वाला खर्च भी घट जाएगा। हालांकि इससे अर्थव्यवस्था की मूल स्थिति में विशेष सुधार नहीं होगा, परंतु पारदर्शिता जल्लर बढ़ेगी, क्योंकि इसे आसानी से टैक किया जा सकता है। पारंपरिक मुद्रा की जानकारी आरबीआई के पास नहीं होती। जैसे रिजर्व बैंक यह जानना चाहे कि अमुक नंबर का नोट किस व्यक्ति के पास है तो उसका पता लगाना मुश्किल है। वहीं डिजिटल करेंसी का नंबर कंप्यूटर में धारक के खाते में दर्ज हो जाएगा और यह पता लग सकेगा कि अभी इस नोट का मालिक कौन है? इससे भ्रष्टाचार पर रोक लगाने में मदद मिल सकती है। इनकम टैक्स विभाग चेक कर लेगा कि किसने कितनी रकम किसको दी? वैसे भ्रष्टाचार करने वाले इसका भी कोई तोड़ निकालने का प्रयास कर सकते हैं। वित्त मंत्री ने बजट में मेंक इन इंडिया को सहारा दिया है। केमिकल्स इत्यादि जिन वस्तुओं के उत्पादन की भारत में भरपूर क्षमता है, उन पर आयात कर बढ़ाए गए हैं। सरकार चाहती है कि जो माल हम बना सकते हैं, वह हम स्वयं बनाएं और उसका आयात न करें। रक्षा क्षेत्र में पिछले साल 58 प्रतिशत घेरेल खरीद थी,

विधानसभा चुनाव तो केवल पांच प्रांतों में ही हो रहे हैं, मगर देश भर में सभी संचार माध्यम और अधिकांश नेता उसी के संबंध में चर्चा करने, रणनीति बनाने और विश्लेषण करने में व्यस्त हैं। आजकल हर स्तर के चुनावों में प्रदेश की सरकारों का पूरा तंत्र उनकी व्यवस्था में लग जाता है। लोकसभा से लेकर पंचायतों तक के चुनावों का यह सिलसिला लगभग प्रतिवर्ष चलता रहता है। सबसे पहले प्रशासन इस कार्य में अद्यापकों को लगाता है। उसका सीधा प्रभाव बच्चों की शिक्षा और विशेषकर उसकी गुणवत्ता पर पड़ता है। अनेक अवसरों पर लोकसभा के चयनित सदस्य विधानसभा का या विधानसभा सदस्य लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं। जीत जाने पर पहला पद छोड़ देते हैं। फिर उपचुनाव होता है। उसका सारा बोझ जनता उठाती है। ऐसा ही तब भी होता है जब कोई व्यक्ति दो जगह से चुनाव लड़कर दोनों क्षेत्रों से विजयी होता है। वहीं दागी उम्मीदवारों ने अपना एक स्थायी मुकाम चुनाव व्यवस्था में बना लिया है। अधिकांश राजनीतिक दल इन पर अपनी निर्भरता स्वीकार करने से भी गुरेज नहीं करते हैं। कुछ संस्थाएं समय-समय पर चयनित, परंतु दागी प्रतिनिधियों के विरुद्ध दर्ज मुकदमों

देश में ऐसे परिवेश का निर्माण करना होगा जिसमें चुनाव जनहित में नई संभावनाओं को जन्म दे सकें

समाज के प्रबुद्ध वर्ग को राजनीति से जुड़ी वैचारिक प्रतिबद्धताओं से ऊपर उठकर आगे आना होगा। देश में ऐसे वातावरण का निर्माण करना होगा जिसमें चुनाव जनहित में नई संभावनाओं की जन्म दे सकें, लोगों में जनतंत्र के प्रति विश्वास और आस्था को दृढ़ कर सकें। एक ऐसी व्यवस्था बनें, जिसमें उसी व्यक्ति का चयन हो, जो जनसेवा में अपनी संलग्नता को स्थापित कर चुका हो, जिसके पास मतदाता जाकर चुनाव लड़ने का अनुरोध करें और जिसकी आर्थिक स्थिति उसके चयन में बाधा न बने। 1977 में मतदाताओं ने अपने मत के महत्व को पहचाना था। ऐसे-ऐसे लोग लोकसभा सदस्य चुने गए, जिनके पास व्यय करने के लिए धन नहीं था। वर्ष 1980 में जो हुआ, वह अकल्पनीय था। वे आपस में ही झगड़े लगे। वे सभी सत्ता से उतार दिए गए। यह देश का दुर्भाग्य ही कहा जाएगा कि इस सघन अनुभव के बाद भी देश में क्षेत्रीयता और जातीय समीकरणों पर आधारित राजनीतिक दल तेजी से पनपते रहे। जातीय समीकरणों पर आधारित दलों को अपने साथ जोड़ के लिए राष्ट्रीय दल उत्सुक रहने लगे हैं। जिस ढंग से चुनाव के कुछ दिन पहले दल-परिवर्तन हो रहा है। दल-बदलुओं का जोर-शोर से स्वागत हो रहा है, वह और कुछ भी हो लोकतंत्र तो नहीं हो सकता। यह स्वतंत्रता संग्राम के समय जागृत राष्ट्र के प्रति निःस्वार्थ समर्पण का भावना उसी स्तर पर बनी रहता है तो आज देश ने उन समस्याओं का समाधान प्राप्त कर लिया होता। जिनसे पक्कि के अंतिम छोर पर खड़ा व्यक्ति भी सम्मानपूर्ण मानवीय जीवन जी सकता। गरीबी हटाओ का नारा करीब पांच दशक पहले लगा था, लेकिन गरीबों की संख्या बढ़ती ही रही। यदि पचास साल पहले इस दिशा में ईमानदारी रखी प्रयास किए गए होते तो गांवों और किसानों की स्थिति बदल गई होती रही। यह मानना ही होगा कि देश तेरे गांवों और किसानों की स्थिति संवराने के इसके लिए मुख्य जिम्मेदारी चयनित प्रतिनिधियों के ही मानी जानी चाहिए। पिछले छह साल वर्षों में गांवों और किसानों की स्थिति सुधारने के प्रयास हुए लेकिन उन प्रयासों को आगे बढ़ाने में राजनीतिक वैमनस्यता आड़े डाढ़े रही है। कितना अच्छा होता यह गांव में स्वास्थ्य, शौचालय, पीड़िया के पानी, भवन निर्माण, बैंक खाते किसान के पास सम्मान निधि की सीधी पहुंचना, किसानों की आवासों दो-गुनी करने की योजनाएं जैसी नवाचार हर राजनीतिक दल और हर नेता का समर्थन पाते।

दिल्ली के कुछ खास इलाकों में अपराध नियंत्रण में क्यों विफल रही

‘बीज’ बोते वक्त हम एक परिकल्पना तो करते ही हैं कि इस ‘वक्ष’ से हमें कैसे और कौन से

मौन उस स्थान पर उस वक्त भी रहा जब एक युवती की इज्जत सरेआम तार-तार हो रही थी। इस ऐसा पहले होता भी आया है। किसी भी शहर में अवैध तस्करी का कोरोबार बगैर पलिस संरक्षण के

से लेकर, ब्रह्मपुरी, नंदनगरी तकरीबन 45 रिफ्यूजी कालोनी इनके लिए बसी थीं। उन्हीं में पर्वती से ही नपता गया और आज यही वजह है कि पुलिस के लिए वहाँ जांकना तक मशिकल है। वहाँ से आक्रमकता इतनी अधिक थी विकास जाता है कि वहाँ से उत्तरे खदेंगे दिया गया और पुलिस वहाँ से उत्तरे



मौखिक निर्देश पर महाराष्ट्र में फंसती नौकरशाही

एक लोकतांत्रिक देश को ठीक से चलाने के लिए स्वाधीनता प्राप्ति के बाद देश के भाग्य विधायिकाओं ने काफी सोच-विचार करके ही न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका आदि का गठन किया होगा। इनके चयन और चुनाव की प्रक्रिया तय की गई होगी। गठियां होने पर उन्हें सुधारने की व्यवस्था भी दी गई होगी। लेकिन आज लोकतंत्र के उत्तर तीनों अंगों की जिम्मेदारियां गहू-मङडि होती दिखाई दे रही हैं। वैसे ये गहू-मङडि कई राज्यों में हो रहा है, लेकिन इसका सबसे सटीक उदाहरण इन दिनों महाराष्ट्र में दिख रहा है महाराष्ट्र में तीन दलों की महाविकास आघाड़ी सरकार बनने के बाद से व्यवस्था कम बल्कि दुर्घट्वस्था कुछ ज्यादा खुलकर सामने आ रही है। इससे न केवल सबक लेने की जरूरत है, बल्कि इसमें सुधार के प्रयास भी किए जाने जरूरी हैं। राज्य में इन दिनों किसी न किसी पूर्व या वर्तमान नौकरशाह के ऐसे बयान आ जाते हैं, जिनके कारण राजनीतिक नेतृत्व गंभीर आरोपों में फंसता दिखाई दे रहा है। राज्य सरकार में गृहमंत्री का पद किसी राज्य की कानून व्यवस्था दुरुस्त रखने के लिए बनाया गया है। दुर्भाग्य देखिए, इस राज्य का गृहमंत्री ही इन दिनों कई गंभीर आरोपों में अपने पद से इस्तीफा देकर अब जेल की हवा खा रहा है। पुलिस आयुक्त का पद किसी बड़े महानगर की पुलिस को सुचारा रूप से संचालित करने के लिए बनाया गया होगा। आज मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त पर ही हफ्तावारसूली के कई मामले दर्ज हैं।

कस्तुरबा नगर की शाराब तस्करी क्या बला है। दरअसल 1947 में बंटवारे के बाद जब भारत में शरणार्थी आए तो दिल्ली में इहाँ सीमापास के आसपास ही बसाया गया था। धीरे-धीरे देश की राजधानी का विस्तार हुआ और जिस जगह इहाँ बसाया गया वह एक तरह से बीच में आ गई। उस समय किंसवे कैप

भी है जहां सांसी और भेद्यकुट जाति का एक वर्ग शरणार्थी के तौर पर बसाया गया था। ये लोग यहां आए तो रोजी रोठी के साथ गुजर-बसर करने, लेकिन परिवार के लिए मेहनत का रास्ता चुनने के बजाय कच्ची शराब की अवैध तस्करी करने में लिप्त हो गए और जैसकि सर्विंदित है यह अपराध पुलिस के संरक्षण दूर की कौड़ी है। शाहदरा क्षेत्र में डड़े वाली इस संकरी गलियों वाली कालोनी में पुलिस ने पिछले कई दशकों में किसी अपराध को निपटाने की मुहिम क्यों नहीं छोड़ी एक समय इस इलाके के एक एसएचओ जरनैल सिंह ने कोशिश भी की और पूरी पुलिस टीम के साथ वहां गए, लेकिन महिलाओं की याहां अपराध खत्म करने जैसे वांछी भी किए। वर्ष 1993 में जब से यह विधानसभा सीट गठित हुई, तब से यहां भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी तीनों के ही विधायक बन चुके हैं, लेकिन कस्तूरबा नगर को अपराध के चंगुल से निकालने का प्रयास किसी ने नहीं किया।

सार्वजनिक परिवहन में महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा

पांच राज्यों में विधानसभा
चुनाव के मद्देनजर महिलाओं को
उम्मीदवार व मतदाता के तौर पर
राजनीति में भुनाने वाला सुदूर भी
इन दिनों चर्चा में है। लेकिन
महिलाओं की जिंदगी को प्रभावित
करने वाले अन्य अहम मुद्दों पर
राजनीतिक दल प्रभावशाली ढंग से
हस्तक्षेप करते नजर नहीं आते, न
ही सत्ताधारी राज्य सरकारें महिला
योजनाओं को लागू करने में अपनी

गए। पर बजट में संशोधित अनुमान राशी घटकर 140 करोड़ रुपये रह गए। वित्त वर्ष 2021-22 में इस मद के लिए आवंटित रकम में और कटौती करते हुए इसे 100 करोड़ कर दिया गया। रस्तुर्स्थिति यह है कि दो साल से केंद्र को संशोधित बजट में कटौती करनी पड़ रही है। जो रकम जारी की गई उसका औसतन 45 प्रतिशत ही खर्च किया जा सका है। परिणामस्वरूप निर्भया पुलिंदा भी भेजते हैं। पर कागजों पर नजर आने वाली सरकार की प्रगतिशील सौच को जब अमल में लाया जाता है, तो अपेक्षित परिणाम सामने नहीं आते। यह एक बहुत बड़ा सवाल है। यह हकीकत है कि पुरुषों की अपेक्षा महिलाएं सार्वजनिक परिवहन पर अधिक आश्रित हैं। संयुक्त राष्ट्र विकास कोष ने 2017 में भारत के छह शहरों में एक अध्ययन कराया और पता आवंटित करने का फैसला लिया गया। इस काम में अधिक प्रगति न होते देख 2020 में एक बार फिर राज्य सरकारों के संबंधित विभागों के आधिकारियों को इस पर सर्जनिक से अमल करने के बारे में पत्र लिखा गया। कुल मिलाकर सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को सुरक्षित बनाने में निवेश करने से लड़कियों, महिलाओं की जिंदगी को गति मिल सकती है। वर्ष 2022-2023 के



विफलता पर पारदर्शिता बरतती है। यहां पर मुद्रा देश की महिलाओं की सुरक्षा खासगौर पर सार्वजनिक परिवहन के साथनों में महिला यात्रियों की सुरक्षा को लेकर है। इस संदर्भ में उपलब्ध आंकड़े बताते हैं कि राज्य सरकारें औरतों को सार्वजनिक बसों में सुरक्षित सफर मुहैया कराने में विफल साबित हुई हैं। महिला यात्रियों की सुरक्षा को लेकर सरकार चाहे कितन भी बड़े दावे करे, मगर जमीनी हकीकत कुछ और ही है। केंद्र की ओर से वित्त वर्ष 2020-21 में सार्वजनिक सड़क परिवहन सेवा में महिला सुरक्षा योजना के तहत बजट में 174 करोड़ रुपये आवंटित किए

फंड से सार्वजनिक बसों में ट्रैकिंग डिवाइस-इमरजेंसी बटन लगाने का काम अद्यता है। हाल में पर्टन-परिवहन संसदीय समिति ने सार्वजनिक परिवहन में महिलाओं की सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने के लिए बनाए गए निर्भया फंड में लगातार कटौती और आवंटित रकम को पूरा खर्च नहीं करने पर अपनी नाराजगी जाहिर की है। सवाल यह है कि क्या समिति की नाराजगी राज्य सरकारों के लिए कोई महत्व रखती है। संसदीय स्पाई समिति के अलावा भी कई सर्वे सार्वजनिक परिवहन में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर आगाह करते रहते हैं व सुधार के लिए सिफारिशों का चला कि भारत में 90 प्रतिशत महिलाएं सार्वजनिक स्थलों पर या तो खुद यौन उत्पीड़ित की शिकायत हुई या उन्होंने ऐसा होते देखा या इसके बारे में सुना। वास्तव में यह एक ऐसा कड़वा सच है जिससे इन्कार नहीं किया जा सकता। सइक परिवहन व हाईव मंत्रालय ने एक अप्रैल 2018 तक सभी सार्वजनिक परिवहन जिसमें सार्वजनिक बस, टैक्सी, कैब, आटो, सवारी टैपै आदि में ट्रैकिंग डिवाइस और इमरजेंसी बटन लगाना अनिवार्य करने का आदेश जारी किया। इसके लिए मूलभूत ढांचा तैयार करने के लिए निर्भया कोष में से राज्य सरकारों को रकम केंद्रीय बजट में महिला व बाल विकास के लिए 25,172 करोड़ रुपये देने का एलान किया गया है। इस बार पिछले साल की तुलना में बेशक तीन प्रतिशत बजट बढ़ दिया गया है, मगर देखना है कि सार्वजनिक परिवहन में महिला यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए केंद्र/ राज्य सरकारों क्या ठोस कदम उठाती हैं। हाईव निर्माण की रफ्तार में तेजी पर फोकस वे साथ-साथ महिला यात्रियों की सुरक्षा को भी प्राथमिकता देने के दरकार हैं।

